भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2074

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

एमएसएमई को ऋण देने के मानदंड

2074. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंकों ने एमएसएमई को ऋण देने के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई एमएसएमई को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो महाराष्ट्र में बैंकों से ऋण प्राप्त करने में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में एमएसएमई को ऋण देते समय बैंकिंग संस्थाओं द्वारा मांगी जा रही संपार्श्विक प्रतिभूतियों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है कि उक्त राज्य में ऋण के लिए एमएसएमई से मांगे जा रहे संपाश्विक आवश्यकताएं उनके व्यवसाय के आकार और वित्तीय क्षमता के अनुसार उचित और तर्कसंगत हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार एमएसएमई को आसान ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य योजनाओं पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): अनिवियमित ऋण परिवेश में बैंक अपनी बोर्ड अनुमोदित नीतियों और आरबीआई के व्यापक विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसएमई को ऋण देने के मानदंड सहित ऋण संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख): देश में एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

i. निवेश के आकार और कुल कारोबार, दोनों, के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण का नया संशोधित मानदंड।

ii. व्यवसाय करने की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु 'उद्यम पंजीकरण'

iii. दिनांक 2.7.2021 से एमएसएमई के रूप में खुदरा और थोक व्यापारियों को शामिल करना।

iv. गैर-वित्तपोषित सूक्ष्म/लघु व्यावसायिक इकाइयों को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा के साथ-साथ संपार्श्विक मुक्त संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ अप्रैल, 2015 में किया गया था। पीएमएमवाई के अंतर्गत मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए के पूर्व के स्तर से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है और एक नई श्रेणी तरुण प्लस जोड़ी गई है जिसमें उन

उद्यमियों, जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और सफलतापूर्वक उसका पुनर्भुगतान किया हो, के लिए 20 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध होंगे।

v. बैंकों द्वारा 5 करोड़ रुपए तक की उधार सीमा के लिए एमएसई इकाइयों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का परिकलन उस इकाई के अनुमानित वार्षिक कुल कारोबार के न्यूनतम 20% की सरल पद्धति के आधार पर किया जाना है।

vi. बैंकों को सलाह दी गई है कि एमएसई उधारकर्ताओं को 25 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ऋण संबंधी निर्णय लेने की समयसीमा 14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

vii. कोविड-19 महामारी को देखते हुए पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और अन्य व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालनात्मक देयताओं को पूरा करने और उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए मई, 2020 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) आरंभ की गई थी।

viii. एमएसएमई की देरी से किए जा रहे भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) को परिचालनरत किया गया है। इसके अतिरिक्त, टीआरईडीएस में कंपनियों को शामिल करने के लिए कुल कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम/ओ एमएसएमई) ने दिनांक 7.11.2024 को राजपत्र में अधिसूचना जारी की है।

ix. आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के मानदंडों के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों (एससीबी) के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) अथवा तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, के 7.5% का लक्ष्य निर्धारित किया है।

x. आरबीआई ने एए फ्रेमवर्क की सुविधा आरंभ की है जिसके अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय आस्तियों से संबंधित सूचना को ऐसी सूचना के धारकों (वित्तीय सूचना प्रदाता) (एफआईपी) से एकत्रित किया जाता है और एक सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहकों या विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं (वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता) को डिजिटली प्रदान किया जाता है। एमएसएमई को आसानी से उधार देने के लिए एए तंत्र में एफआईपी के रूप में जीएसटीएन को शामिल किया गया है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों (एससीबी) द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए ऋण की बकाया राशि में अखिल भारत और महाराष्ट्र के संबंध में निम्नानुसार सुधार हुआ हैः

(राशि लाख करोड़ रुपये में)

	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24
अखिल भारत	20.11	22.6	27.25
महाराष्ट्र	3.39	3.8	4.25

स्रोतः आरबीआई

(ग) और (घ): आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में मास्टर निदेश (11जून, 2024 को अद्यतन किए गए) के पैरा 4.1 के अनुसार बैंक को यह अधिदेश दिया गया है कि वे एमएसई क्षेत्र में इकाइयों को प्रदान किए गए 10 लाख रुपये तक का ऋण के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति न लें। बैंक एमएसई इकाइयों की अच्छे इतिवृत्त और वित्तीय स्थिति के आधार पर संपार्श्विक प्रतिभूति से छूट प्राप्त ऋण की सीमा को बढ़ाकर (सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से) 25 लाख रुपये कर सकता है।

इसके अतिरिक्त,सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) की एक योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी योजना में सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रवाह संपार्श्विक और तृतीय पक्ष की गारंटी की कठिनाई के बिना उपलब्ध कराने को सुविधाजनक बनाया गया।

(ङ): एमएसएमई की सहायता के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई निम्नलिखित घोषणाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है:-

i. मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए बिना संपार्श्विक या तृतीय-पक्ष गारंटी के एमएसएमई को सावधि ऋण प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी योजना आरंभ की जाएगी।
ii. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एमएसएमई का मूल्यांकन करने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता निर्मित करनी होगी और एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट्स की स्कोरिंग के आधार पर एक नया ऋण निर्धारण मॉडल तैयार करने या करवाने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी
iii. एमएसएमई की दबाव की अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा संवर्धित निधि से गारंटी के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

*****